न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 74/2019 **RCMS 2019/00137**

वादी

1. राकेश कुमार पुत्र उदाराम जाट निवासी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. मेघाराम पुत्र नारायणराम
2. मंगलाराम पुत्र लालुराम
3. मांगीलाल पुत्र लालुराम जाति जाट निवासीगण राजपुरा तह. कुचामनसिटी (नागौर)
4. मैनेजर बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
5. उप पंजीयक कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा – वास्ते घोषणा भू–विभाजन एवं रेकार्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रति.2 से 3 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 04/08/2023

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी के पत्र क्रमांक/भू.अ./2022/2562 दिनॉक 18.10.2022 से प्राप्त हो चुकी है, माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 27.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 18.10.2022 (विभाजन प्रस्ताव) शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 234 रकबा 3.53 हैक्टर हैक्टर में वादी राकेश कुमार पुत्र उदाराम जाट सा. राजपुरा का मौके पर कब्जा लाल स्याही से दर्शाये गये बिन्दू **A** पर 0.6472 हैक्टर पर है, तथा मार्क **B** स्थान पर शेष अन्य खातेदार संयुक्त रूप से काबिज है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:57:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 234 रकबा 3.53 हैक्टर में वादी राकेश कुमार पुत्र उदाराम जाट सा. राजपुरा का मौके पर कब्जा लाल स्याही से दर्शाये गये बिन्दू **A** रकबा 0.6472 हैक्टर पर है, तथा मार्क **B** स्थान पर शेष अन्य खातेदार संयुक्त रूप से काबिज है। वादी राकेश कुमार पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उदाराम जाट सा. राजपुरा को फर्द मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 18.10.2022 अनुसार तथा (नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 04/8/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:57:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : मनोज, (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 74/2019 **RCMS 2019/00137**

वादी

1. राकेश कुमार पुत्र उदाराम जाट निवासी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. मेघाराम पुत्र नारायणराम
2. मंगलाराम पुत्र लालुराम
3. मांगीलाल पुत्र लालुराम जाति जाट निवासीगण राजपुरा तह. कुचामनसिटी (नागौर)
4. मैनेजर बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
5. उप पंजीयक कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा – वास्ते घोषणा भू–विभाजन एवं रेकार्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री अशोकपुरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर राजपुरा पटवार मण्डल परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 234 रकबा 3.53 हैक्टर हैक्टर में वादी राकेश कुमार पुत्र उदाराम जाट सा. राजपुरा का मौके पर कब्जा लाल स्याही से दर्शाये गये बिन्दू **A** रकबा 0.6472 हैक्टर पर है, तथा मार्क **B** स्थान पर शेष अन्य खातेदार संयुक्त रूप से काबिज है। वादी राकेश कुमार पुत्र उदाराम जाट सा. राजपुरा को फर्द मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 18.10.2022 अनुसार तथा (नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04 ....माह 08 .... सन् 2023 .... को जारी की गई।

(मुहर)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर))

दस्तखत (हस्ताक्षर)
ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे [illegible] के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:57:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2022 / 2562 दिनांक :– 18-10-2022

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रकरण वाद सं. 74 / 2019 राकेश कुमार बनाम मेघाराम जाट राजपुरा वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक राजस्व / 2022 / 230 दिनांक 28.07.2022 के संदंर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदंर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद सं. 74 / 2019 राकेश कुमार बनाम मेघाराम जाट राजपुरा वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ.नि. जिलिया व पटवारी हल्का परेवडी के द्वारा तैयार करवाई गई है ।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:57:24 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम राजपुरा प.स. परेवड़ी तह. कुचामनसिटी

XXX

आज दिनांक 18-10-2022 को कार्यालय तहसीलदार कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक /भू-अ/ 54 दिनांक 07-10-2022 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर के आदेश क्रमांक/ मर्द /2022/230 दिनांक 28-07-2022 की पालना मे SDM कोर्ट कुचामनसिटी के राजस्व प्रकरण वाद सं. 74/2019 RCMS 2019/00137 राकेश कुमार बनाम मेवाराम जाट राजपुरा वगैरह मे पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना मे तहसीलदार कुचामनसिटी, भू.अ.नि. जिलिया पटवारी हल्का परेवड़ी ग्राम राजपुरा के खसरा नं. 234 रकबा 3.53 है. के मौके पर पहुंचे। तथा मौके पर उपस्थित वादी राकेशकुमार व अन्य मौतबिरान उपस्थित मिले जिनकी मौजूदगी मे मौके पर बंटवारा स्कीम तैयार की गई

LR 18.10.22

नजरी नक्शा ख.न. 234

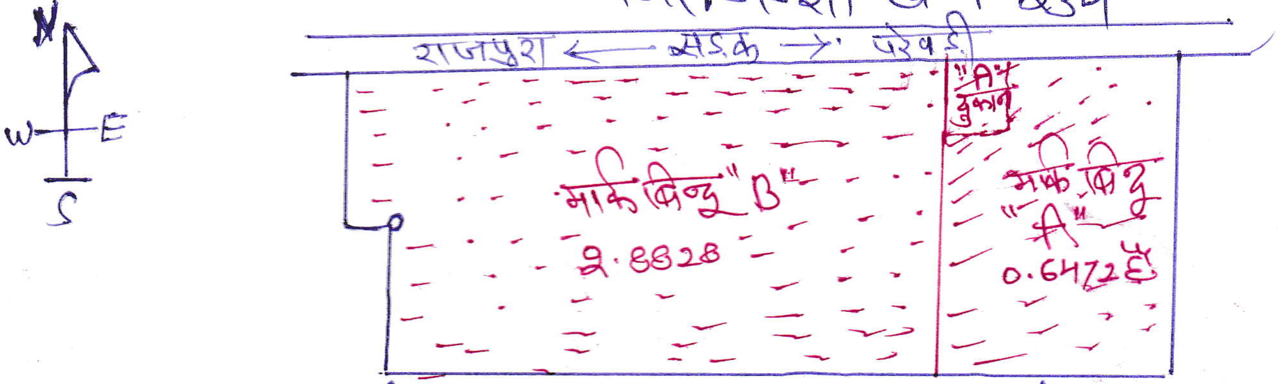

मौके पर उपस्थित वादी राकेशकुमार, तथा ख.न. 234 के पड़ोसी श्रीमान रामेश्वरलाल s/o बीयताराम जाट नि. परेवड़ी, मोहनराम s/o लिछमाराम जाट निवासी राजपुरा तथा पुरणमल s/o आशीयराम जाट नि. राजपुरा ने बताया कि नजरी नक्शा मे दर्शाए गए खसरा के मार्क बिन्दु A पर वादी राकेशकुमार s/o दुदाराम जाट निवासी राजपुरा का कब्जा है। तथा मार्क बिन्दु B पर शेष अन्य खातेदार संयुक्त रूप से काबिज है। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित वादी एवं ~~मौजूद~~ मौजीज व्यक्तियों को पढ़कर सुनाई गई जिसे सुनकर समझकर सहीमानकर समुझसिरान से हस्ताक्षर किए गए।

Rajkm

Mohan Ram

18-10-2022
पटवारी परेवड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:57:24 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

18/10/2022
LR जिलिया

रामेश्वर

पूरणमल

Umedaram
(उदा राम)